

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 99 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी - सेवा गृह ऋण लि० कार्यालय शाखा-राठौड नगर, वैशाली नगर, मॉटे कार्लो शॉरूम के ऊपर, जयपुर एवं शाखा कार्यालय-भीलवाड़ा

- बनाम
1. संजू कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह निवासी निवासी सरसड़ी, सरसरी, भीलवाड़ा, रीठ
  2. महेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी सरसड़ी, सरसरी, भीलवाड़ा, रीठ
  3. कैलाश गुर्जर पुत्र हरदेव गुर्जर निवासी वार्ड नं. 11, गुर्जर मोहल्ला, साकरियाखेडा, सिदड़ियास, भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा।

**निर्णय**

दिनांक : 04-08.2023

प्राधिकृत अधिकारी - सेवा गृह ऋण लि० शाखा कार्यालय भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को कुल 2,16,000/- रुपये का ऋण दिनांक 31.05.2019 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति-पट्टा नं. 19, सरसड़ी, ग्राम पंचायत उदलियास, पंचायत समिति, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2275 वर्गफीट है, जिसके पड़ोस पूर्व-लूद/बालू गुर्जर, पश्चिम-रास्ता व रावता/भूरा गुर्जर, उत्तर-सुखदेव/बरदा गुर्जर, दक्षिण-रास्ता व लादु/बालु गुर्जर (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 30.11.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 3,10,280.81/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।



प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(1A) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण (ऋणी) द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गयी उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति (पट्टा नं. 19, सरसड़ी, ग्राम पंचायत उदलियास, पंचायत समिति, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2275 वर्गफीट है, जिसके पड़ोस पूर्व-लूद/बालू गुर्जर, पश्चिम-रास्ता व रावता/भूरा गुर्जर, उत्तर-सुखदेव/बरदा गुर्जर, दक्षिण-रास्ता व लादु/बालु गुर्जर) का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को संभलाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। साथ ही कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने की सुनिश्चितता की जावे। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को विधि अनुसार पालना किये जाने हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-08.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा